नम्बर /वर्ष 565/2023 अनवानी जयनारायण बनाम शंकरलाल आदि

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
10/6/26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पर बहस उभयपक्षो की सुनी गई विवेचन निम्नप्रकार से है वकील प्रार्थीगण/वादीगण जयनारायण आदि के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्रो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त अनुवानी वाद न्यायालय में जैरकार है दावा के वादी संख्या 3 कृष्ण पुत्र रामप्रताप , वादी संख्या 6 छोटूराम पुत्र रेखाराम ,प्रतिवादी संख्या 2 मलुराम पुत्र रेखाराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार ही है प्रतिवादी संख्या 2 को राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा भी अपील में पक्षकार बनाया जाने के कारण पक्षकार बनाया गया है वादीगण छोटे एवं काश्तकार पेशा किसान है जिन्हे ज्ञान नही होने के कारण पक्षकारो के देहान्त होने पर अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया अज्ञानता के कारण देरीना हुई है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतको के वारिसान को प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार पक्षकार बनाये जाने के आदेश फरमावे प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी अंकित नही किया की वादी /प्रतिवादी कब फोत हुए है मलुराम की पुत्री का देहान्त होना अंकित किया है जबकि मलु की सावित्रि नाम की कोई पुत्री नही है। प्रकरण में छोटुराम पुत्र रेखाराम दिनांक 09.01.2016 को मलुराम पुत्र रेखाराम दिनांक 18.10.2011 को हो चुके है जिनके लगभग 14 साल बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है किसी भी प्रकार से प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही है सुओमोटो ही वाद अबैट हो चुका है प्रार्थी /वादी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है किसी प्रकार से चलने योग्य नही है ना ही देरीना को माफ करने के लिये दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नही होने के कारण एव देरीना माफी का प्रार्थना पत्र नही होने के कारण संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण/वादीगण का कथन है कि उक्त अनुवानी वाद न्यायालय में जैरकार है दावा के वादी संख्या 3 कृष्ण पुत्र रामप्रताप , वादी संख्या 6 छोटूराम पुत्र रेखाराम ,प्रतिवादी संख्या 2 मलुराम पुत्र रेखाराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार ही है जिनके पक्षकार बनाया जावे। प्रार्थीगण /वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नही किया गया की किसकी देहान्त कब हुआ है जबकि वादीगण/प्रार्थीगण का दायित्व था की वह अपने प्रार्थना पत्र में मृतक के देहान्त होने का पूर्ण विवरण दर्ज करता जबकि अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया की छोटुराम पुत्र रेखाराम दिनांक 09.01.2016 को मलुराम पुत्र रेखाराम दिनांक 18.10.2011है अर्थात छोटुराम के देहान्त होने के बाद 10 साल व मलुराम के देहान्त होने पर 14 वर्षो के बाद उनके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया है जो विधिसम्मत नही है समय पर पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण /वादीगण का कथन है कि वादीगण काश्तकारी पेशा है जिन्हे कानुन का ज्ञान नही था इसलिये [illegible] हुई स्वीकार योग्य नही है क्योकि वादीगण के अधिवक्ता का [illegible] था की वह अपने पक्षकारो को कानुन की जानकारी देकर [illegible] इतनी लम्बी अवधी तक पक्षकारो से सम्पर्क नही होना भी स्वीकार योग्य नही है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:05:28 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
मोहर

वादीगण/प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र जो देरीना से पेश किया गया है के समर्थन में कोई निवेदन नही किया गया है जबकि वादीगण का दायित्व था की वह देरीना से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर सन्तोषजनक कारण अंकित किया जाकर देरीना माफी का निवेदन करता जो नही किया गया है जिसके आधार पर भी प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नही है।

राजस्व वादो में देरीना से प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण ही राजस्व न्यायालयों में वाद निस्तारण में देरीना हो रही है जबकि पक्षकारो का दायित्व था की वह समय पर प्रार्थना पत्र समस्त तथ्यो के साथ पेश करे

वादीगण का वाद खाता विभाजन का है जिसमें भी प्रार्थना पत्र देरीना से पेश किया गया है तथा देरीना से पेश करने का कोई सन्तोषजनक कारण भी अंकित नही किया गया जो स्वीकार नही है किन्तु वादीगण के हक प्रभावित नही हो इसलिये वादीगण/प्रार्थीगण को समस्त तथ्यो के साथ पुनः वाद पेश कर सकता है हस्तगत वाद में कोई अनुतोष दिया जाना विधिसम्मत नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी न्यायालय के द्वारा में काफी देरीना से प्रस्तुत किया गया है तथा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न देरीना माफी का प्रार्थना पत्र या देरीना माफ करने का कोई सन्तोषजनक कारण भी अंकित नही करने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वाद वादीगण अबैट हो जाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया ।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:05:28 IST
Reason: SelfAttested